रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/माघ 16, 1893

No. 78] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th February 1972

S.O. 109(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh for period of six months with effect from 12th February, 1972. as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS-II (G&Q)].

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) (जी० एण्ड क्यू०)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० नि० 109(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है

कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 12 फरवरी, 1972 से 11 अगस्त, 1972 तक छह मास के लिए मध्य प्रदेश मे सेवारत होगा वह सक्रीय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एंड क्यू०)]

S.O. 110(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra for period of six months with effect from 9th February, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS-II (G&Q)]

सा० नि० 110(अ).—सीमा-सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 9 फरवरी, 1972 से 8 अगस्त, 1972 तक छह मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस० II (जी० एंड क्यू०)]

S.O. 111(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Tamil Nadu for period of six months with effect from 11th March, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS-II (G&Q)].

सा० नि० 111(अ).—सीमा-सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11 मार्च, 1972 से 10 सितम्बर, 1972 तक छह मास के लिए तामिल नाडू से सेवारत होगा वह सक्रीय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69 बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 112(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Manipur for period of six months with effect from 6th February, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS-II (G&Q)].

सा० नि० 112(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6 फरवरी, 1972 से 5 अगस्त, 1972 तक छह मास के लिए मनीपुर से सेवारत होगा वह सक्रीय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 113((E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Mysore for period of six months with effect from 16th February, 1972, as active duty

[No F 9/28/69-BS-II (G&Q)].

सा० नि० 113(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 16 फरवरी, 1972 से 15 अगस्त, 1972 तक छह मास के लिए मैसूर से सेवारत होगा वह सर्क्रय ड्यूटी होगी।

[स० एफ० 9/28/69—बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 114(E).—In pursuance of the povisions of clause (a) of sub-sction (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for period of six months with effect from 22nd February, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS-II (G&Q)].

सा० नि० 114(अ).—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22 फरवरी, 1972 से 21 अगस्त, 1972 तक छह मास के लिए आन्ध्र प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रीय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 115(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for period of six months with effect from 27th February, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS-II (G&Q)].

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

सा० नि० 115(अ).—सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 27 फरवरी, 1972 से 26 अगस्त, 1972 तक छह मास के लिए उत्तर प्रदेश में सेवारत होगा वह सीमा ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्य०)]

बी० वेंकटरमन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972